फिटजी: आखिर क्यों पड़ने लगे दौरे | **बिहार कांग्रेस: उठकर खड़े होने की अंतहीन आस** | **सिनेमा: पूर्वोत्तर में शूटिंग की बात ही और**

12 फरवरी, 2025 60 रुपए

इंडिया टुडे

दिल्ली विधानसभा चुनाव

वजूद की जंग

चौथी बार कुर्सी के लिए मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल को भाजपा ने चारों ओर से घेरा. सियासी जीवन के इस सबसे कठिन चक्रव्यूह को भेदकर क्या वे फिर विजेता बन पाएंगे?

RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2025-26-27, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.com

आगामी सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित, एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 52 (आवरण सहित) वर्ष 39; अंक: 11

CamScanner

हक के लिए
बीकानेर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्सूसर गेट को दूसरे स्कूल में समायोजित करने के खिलाफ प्रदर्शन करतीं छात्राएं

राजस्थान

...ों की सियासत में ...शालाओं की सांसत

आनंद चौधरी

अजमेर जिले के देलवाड़ा गांव के सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल में 285 छात्राएं पढ़ती हैं. 17 जनवरी की सुबह जब वे स्कूल पहुंचीं तो पता चला कि उनके 45 साल पुराने स्कूल को बंद कर छात्रों के स्कूल में समायोजित किया जा रहा है. इन छात्राओं को अब डर है कि उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उनके अभिभावक लड़कों के साथ पढ़ाई करवाने के लिए राजी न होंगे. ग्रामीणों को सूचना मिली तो उन्होंने दोनों स्कूलों के गेट पर ताला जड़ दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने बिना छानबीन किए इस स्कूल को बंद करने का फैसला कर लिया. देलवाड़ा की सरपंच जसोदा कहती हैं, ''एक तरफ 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर हमारे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ 45 साल से चल रहा स्कूल बंद कर दिया.''

दरअसल, देलवाड़ा के इस बालिका सीनियर सेकंडरी स्कूल का नाम उन 249 स्कूलों की सूची में है जिन्हें 16 जनवरी को बंद करके नजदीकी स्कूलों में समायोजित कर दिया गया. पिछले एक माह में राजस्थान में 439 सरकारी स्कूलों को बंद करने और दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं. इसकी शुरुआत 7 जनवरी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी उन आदेशों के साथ हुई जिसमें 190 सरकारी स्कूलों को बंद और समायोजित करने का फैसला किया गया. यह सारी कवायद जिला शिक्षा अधिकारियों के उन प्रस्तावों पर की गई है जिसमें उन्होंने शून्य नामांकन ... को बंद किए जाने की सिफारि... जिला शिक्षा अधिकारियों ने ... प्रस्ताव भिजवाया कि कई जग... में अलग-अलग दो स्कूल चल ... ऐसे स्कूलों को समायोजित कर दिया जाए. शिक्षा निदेशालय ने सरकार से अनुमति मिलते ही शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने और स्कूलों को समायोजित करने के आदेश जारी किए गए. बंद किए गए 439 स्कूलों का अब कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा. इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षक अन्य स्कूलों में खाली पदों पर काम करेंगे.

> **राज्य सरकार के इन आदेशों के अनुसार बालिका स्कूल ही नहीं बल्कि कुछ उर्दू और सिंधी माध्यम स्कूलों को भी हिंदी माध्यम स्कूलों में समायोजित किया गया है.**

बालिका और भाषायी स्कूलों को बंद करने और नजदीकी विद्यालयों में समायोजित किए जाने के खिलाफ तीखा आक्रोश दिखाई पड़ा है. जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली, उदयपुर और जयपुर समेत कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर पड़े.

बीकानेर के जस्सूसर गेट स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को दूसरे स्कूल में समायोजित किए जाने के खिलाफ छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. स्थानीय भाजपा विधायक जेठानंद व्यास ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर इस स्कूल को फिर से चालू किए जाने की मांग की है. इस स्कूल में 300 से ज्यादा छात्राएं

CamScanner

पढ़ती हैं. कुछ ऐसा ही हाल बीकानेर की पाबू पाठशाला का है जहां दिव्यांग बालक-बालिकाओं को स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा.

अजमेर में राजकीय बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बढ़बाव (उर्दू माध्यम) को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बढ़बाव (हिंदी माध्यम) में समायोजित किया गया. 1941 से संचालित इस स्कूल में 12वीं तक उर्दू में तालीम दी जाती है और 300 से ज्यादा छात्राएं यहां पढ़ रही हैं. अजमेर में आठ उर्दू स्कूलों को हिंदी माध्यम स्कूलों में समायोजित किया गया है. जमात-ए-इस्लामी हिंद ने उर्दू स्कूलों को हिंदी माध्यम स्कूलों में समायोजित किए जाने का विरोध किया है. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुहम्मद नाजिमुद्दीन कहते हैं, ''कम संख्या बताकर स्कूलों को बंद करना आरटीई ऐक्ट का उल्लंघन है. एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए प्राथमिक स्तर से शिक्षा स्थानीय भाषा में दिए जाने की तैयारी कर रही है दूसरी तरफ उर्दू और स्थानीय भाषा के स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है.''

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, ''पूर्व में वसुंधराराजे के [illegible]मन्वय के नाम पर 22,204 [illegible]लों को बंद किया गया और अब 450 स्कूलों पर ताला लगा दिया. भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में खोले गए 3,700 से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी में है.'' राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली का कहना है, ''भाजपा सरकार शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना चाहती है.'' हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्पष्टीकरण है कि ''हमारी सरकार ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया है बल्कि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों को समन्वित किया है.''

भाजपा ने भी सुर में सुर मिलाया है. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है, ''हम स्कूल बंद नहीं कर रहे बल्कि जहां छात्रों की संख्या कम है, उन्हें दूसरे स्कूलों में समायोजित कर न्यायसंगत काम कर रहे हैं.''

आरोपों और जवाबों के बीच छात्रों की शिक्षा का असल सवाल अब भी अधर में झूल रहा है. फैसले के नतीजे सूबे के सरकारी शैक्षणिक ढांचे पर क्या और कितना असर डालते हैं? सामने खड़े इस सवाल का भी जवाब तमाम दावों और वादों से इतर आने वाले कल के इंतजार में है.■

यानी अब भिखारियों से भी मुक्त हो रहा इंदौर

राहुल नरोन्हा

भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक और सफाई मिशन शुरू किया है: भिक्षावृत्ति को खत्म करना. फरवरी 2024 में शुरू इस पहल के आशाजनक नतीजे सामने आए हैं. इसने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जिसे देशभर में अपनाया जा सकता है. यह पहल जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) की अगुआई में चलाई जा रही है. तीन चरण वाले इस कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति को लेकर काउंसलिंग, उससे मुक्ति और अमल शामिल हैं.

अहम पहल
एक भिखारिन को ले जाते प्रशासन के लोग

पहले चरण में अधिकारियों ने 3,500 भिखारियों और उनके परिजनों की काउंसलिंग के साथ भिक्षावृत्ति छोड़ने की सलाह दी. दूसरे चरण में उससे मुक्त करा कर उनका पुनर्वास किया गया. काउंसलिंग के बावजूद बात न मानने वालों को सेवा धाम आश्रम ले जाया गया. वहां उन्हें चिकित्सा देखभाल की सुविधा दी गई. जिन लोगों के पास आधार और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड नहीं थे, उन्हें जरूरी चीजें मुहैया कराई गईं. पारिवारिक सहयोग से महरूम विकलांग भिखारियों को आश्रम में स्थायी निवास की पेशकश की गई. दिसंबर, 2024 तक 470 भिखारियों का पुनर्वास किया गया.

कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए: एक भिखारी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल से एसी थ्री-टियर कोच में यात्रा की थी; एक अन्य भिखारी के खाते में 2 लाख रुपए थे. एक भिखारी के पास इंदौर में 50 लाख रुपए का मकान था. डब्ल्यूसीडी विभाग के प्रोजेक्ट अफसर और परियोजना के नोडल अधिकारी दिनेश मिश्र के मुताबिक, ''हमें ऐसे 22 भिखारी मिले जो बस से इंदौर आए थे और रोज 450 रुपए चुकाकर होटल में रुकते थे.'' पता चला कि शनि देव के नाम पर भीख लेने के लिए पास के रतलाम से आने वाले युवाओं के समूह शामिल हैं. भिखारियों से पता चला कि

कई ऐसे भिखारी भी मिले जिनके बैंक बैलेंस और अपने घर थे या जिन्होंने लग्[illegible] यात्राएं की थीं

उन्हें रोज 1,000 से 1,500 रु. [illegible] हो जाती है. ऐसे में उनके लिए क[illegible] काम के मुकाबले भीख मांगना मुफीद पड़ता है.

यह अभियान इस महीने तीसरे चरण में प्रवेश कर गया. जिलाधिकारी आशीष सिंह ने बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जो भिखारियों और भीख देने वालों पर मामला दर्ज करने की अनुमति देती है. उसके तहत उन्हें छह महीने तक की जेल हो सकती है. भिखारियों या फिर भीख देने वालों की सूचना देने वालों को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाता है. आदेश लागू होने के पहले दो हफ्तों में 25,000 रुपए के इनाम दिए गए.

राज्य के भिक्षावृत्ति निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत, भीख मांगना या भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना अपराध है. यह अधिनियम मूल रूप से 1973 में पारित किया गया था. आशीष सिंह कहते हैं, ''नागरिकों और पुलिस से कई शिकायतें मिल रही थीं कि भिक्षावृत्ति एक बड़ा खतरा बन गई है, यह खासकर ड्रग तथा बालश्रम सरीखे अपराधों से जुड़ी हुई है. इसके अलावा, स्माइल प्रोग्राम के तहत भी भिक्षावृत्ति को खत्म किया जाना है.'' फिलहाल इस पहल ने शहरी सामाजिक सुधार के लिए एक नई मिसाल पेश की है.■

CamScanner